हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University,Srinagar(Garhwal),Uttarakhand-246174
(A Central University)

दूरभाष (01346)-252143,252167,252170
फैक्स (01346)-252174,252247
वेबसाइट–Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक:–मान्यता/7074

दिनांक 04/12/17

सेवा में,
प्राचार्य/निदेशक/सचिव
दून इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च,
9 माईल स्टोन,ऋषिकेश हरिद्वार रोड,
श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 27.09.2017 एवं निरीक्षण समिति को संस्थान द्वारा दिये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) मे निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपधारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार दून इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, 9 माईल स्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार रोड, श्यामपुर ऋषिकेश, जिला देहरादून में संचालित बी0बी0ए0–60सीट, बी0काम0–60सीट एवं एम0बी0ए0 (इन्टर नेशनल बिजनिश) पाठ्यक्रम में 60सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017–18 (एक वर्ष) के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है।

1. सभी पाठ्यकमों के लिए यू0जी0जी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यकम संचालित नहीं किये जायेगें तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगा।
5. कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म–16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. एक माह के अर्न्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता